ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **10 April, 2024**

Dr Abhishek Manu Singhvi, MP and CWC Member, addressed the media at AICC Hdqrs. today.

डॉ॰ अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दोस्तों, हम आपको कई बार अलग-अलग पहलू बताते हैं प्रवर्तन डिपार्टमेंट के बारे में, ईडी के बारे में, कई पहलू आप जानते हैं और उसको मैं एक-एक बिंदु में दोहरा दूं। किस प्रकार से ईडी मुख्य रूप से और साथ-साथ सीबीआई, आईटी, इत्यादि-इत्यादि एजेंसीज़ को एक साझेदारी, एक गठबंधन बना रखा है सरकार ने। किस प्रकार जो 10 या 20 प्रतिशत राजनैतिक पहलू वाले केस होते हैं... उन 10 या 20 प्रतिशत राजनैतिक पहलू वाले केसेस के 99 प्रतिशत केस विपक्ष के विरुद्ध होते हैं, उनके लीडरों के विरुद्ध होते हैं। किस प्रकार से पूर्व चलने वाले केसेस जैसे ही दल-बदल होता है, रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। किस प्रकार से अजीबो-ग़रीब तथ्य होते हैं कि मैं साक्ष्य हूं आपके विरुद्ध। मैं 9 बार साक्ष्य देता हूं, उसमें आपका नाम भी नहीं लेता, 10वीं बार जब मैं गिरफ्तार हो गया हूं उसके बाद साक्ष्य देता हूं, वो उसमें मैं कुछ कहता हूं एक-दो शब्द आपके बारे में और उसके बाद मुझे बेल मिल जाती है और उसके बाद मैं पार्डन होकर साक्ष्य बन जाता हूं, जिसको अप्रूवर कहते हैं। ये सब पहलू आपके चिर-परिचित हैं, जाने-माने हैं, आप लोग समझते हैं, जनता समझती है। ये एक रूटीन बन गया है लेकिन रूटीन रूल नहीं होता, अपवाद है ये याद रहे हमेशा।

अब मैं इस संदर्भ के बाद अभी हाल के छत्तीसगढ़ के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ का सो-कॉल्ड लिकर स्कैम.... और लिकर स्कैम भी चल रहे हैं 'इंडिया' गठबंधन के विषय में... मैं अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं सिर्फ़, ये आपको एक संदर्भ देकर एक प्राक्कथन देकर। शराब घोटाले की एक काल्पनिक और

सनसनीखेज़ भूमिका लिखी गई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विषय में और विशेष रूप से लिखी गई, क्योंकि चुनाव आ रहे थे। उसकी टाइमिंग थी चुनाव के पहले, उसकी गति और दिशा थी चुनाव के पहले और अब कल-परसों उसका खुलासा हुआ है चुनाव के बाद, उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा, जिसके विषय में मैं आपके सम्मुख बैठा हूं।

उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ी विचित्र चीज़ आपके सामने रखी है, उन्होंने ये होल्ड किया कि पूरा मामला हम खारिज करते हैं। टुटेजा का नाम था मुख्य रूप से, लेकिन उनको हर प्रकार से आरोपित किया गया था कि मुख्यमंत्री के साथ मिले हैं, 70 अधिकारी मिले हैं, शासन पूरी तरह से लिप्त है। उस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा पहला कि कोई ऑफेंस ही नहीं है, हम पॉज़ (pause) करते हैं। दूसरा कि आप जानते हैं कि प्रवर्तन वाला जो धन शोधन... मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वो आधारित होता है पूर्व-निर्धारित अपराध पर, जिसको प्रेडीकेट ऑफेंस कहते हैं... तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई प्रेडीकेट ऑफेंस ही नहीं है... तो जानवर नहीं है तो पूंछ कहां से हिल रही है। जब बॉडी नहीं है तो उसकी पूंछ कैसे हिल सकती है। तीसरा उन्होंने कहा कि कोई इंकम टैक्स का नोटिस अगर जाता है तो इंकम टैक्स का कानून तो मनी लॉन्ड्रिंग... प्रवर्तन विभाग के शेड्यूल में लिखा ही नहीं है, उसको भी आप बना देते हो। इस चीज़ को आपने कब बनाया, इसको आपने काल्पनिक, अपनी एक कुत्सित, राजनीतिक मंशाओं के कारण, 70 लोगों से अधिक अलग-अलग विभिन्न विभागों के अंदर, शासन को बदनाम करने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के विरुद्ध हर प्रकार के आरोप लगाने के लिए और इंकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापेमारी के आधार पर, ये प्रवर्तन निदेशालय का केस बना दिया।

तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिर्फ़ इंकम टैक्स के आधार पर तो आप कर भी नहीं सकते, कैसे किया, क्यों किया? उत्तर बड़ा सही है, ये तो उच्चतम न्यायालय का काम नहीं है इस पर जाने का। तो उत्तर इसलिए सही है कि आप एक तारीख़ चुन लीजिए, उससे मालूम पड़ जाएगा कि क्यों किया। चुनाव कब थे भाई छत्तीसगढ़ में... नवंबर 2023 में... तो ये तो अनिवार्य है चुनाव का जैसे ही बिगुल बजा तो ईडी का बिगुल बजा। ये वो कम्प्लीटली जो है एक पपेट (puppet) वाली संस्थाएं हैं, जिनको

एक्टीवेट किया जाता है चुनाव के पहले और आरोप पत्र नवंबर 2023 के चुनाव के थोड़ा पहले ये था कि ये लिकर स्कैम जिसको कहते हैं तथाकथित, वो 2019 से चल रहा है। अरे भाई 2019 से चल रहा है तो 2023 में आप क्यों उठे, क्यों जगे और इसमें सैकड़ों करोड़ की रिश्वत दी गई है! क्या हुआ उस रिश्वत का, जब अभी उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया तो?

उनहोंने ये भी... और ये सब चीजें माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने भाषणों में कहा। 2,161 करोड़ का शराब घोटाला, इतने सारे 70 वहां के कर्मचारी लिप्त हैं, मुख्यमंत्री लिप्त हैं और कई इनमें से... ये टुटेजा, जिसका केस निर्णित हुआ... रात-रात भर, दिन-दिन भर वो और उनके पुत्र इस केस में, उनको प्रताड़ित किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके बयान लिखे गए... ये सब क्यों किया?

आप तो शुरू से जानते थे कि अगर ये पूरा आधार है इंकम टैक्स का, जो नींव है, फाउंडेशन है... तो क्यों किया? द्वेष से किया, राजनैतिक द्वेष से... इसलिए कि आप चाहते हैं कि येन-प्रकारेण... जो मैं कहता हूं by hook or by crook, more by crook or less by hook आप इसका इस्तेमाल करें। जिसको चुनाव का हॉट पीरियड कहा जाता है... तथ्यों पर आधारित प्रॉसीक्यूशन नहीं है, इसको कहते हैं चुनावी प्रॉसीक्यूशन। मैं कुछ प्रश्नों द्वारा अंत करना चाहूंगा। यदि कोई घोटाला हुआ तो ईडी ने इतनी लंबी जांच के बाद धन शोधन... ये इम्पोर्टेन्ट शब्द है... मनी लॉन्ड्रिंग का आपके समक्ष या उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक भी साक्ष्य या तथ्य रखा? और अगर धन शोधन नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। आप खून के आरोपित हो सकते हैं, आप क़त्ल के आरोपित हो सकते हैं, आप इंकम टैक्स के आरोपित हो सकते हैं, आप किडनैपिंग के हो सकते हैं... लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई और अगर होती तो ये निर्णय नहीं आता।

यदि अपराध शराब निर्माताओं की फैक्ट्री से शुरू हुआ तो कृपया बताइए कि एक भी शराब के निर्माता को आपने गिरफ्तार किया या समक्ष रखा? क्यों-क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ़ राजनैतिक द्वेष, राजनैतिक विरोध करने वाले लोग... विपक्ष के लोग।

अगर ये 2019 से 2023 का ये इतना बड़ा, जिसको स्कैम कहा आपने... तो आपने एक भी आबकारी अधिकारी, फील्ड अफ़सर एक भी क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आप जानते हैं कि जो आबकारी विभाग है, वो सबसे ज्यादा नियंत्रित है। आप फैक्ट्री से बाथरूम नहीं जा सकते बिना एक नियंत्रित तरीके से, उस पर लिखना पड़ता है, रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है ... ये सब होता है। एक आदमी को आपने अरेस्ट नहीं किया, क्यों-क्योंकि आपका निशाना था सिर्फ़ राजनीतिक द्वेष वालों की तरफ़।

अगर ये सब लोग दोषी थे, यानी कौन- ब्यूरोक्रेसी, आबकारी अधिकारी, फैक्ट्रियों के निर्माता... तो आज तो कोई बाकी चीज़ छोड़िए, आज चार-पांच महीने हो गए हैं सरकार बने, आपने उसके बाद भी किसी को गिरफ्तार किया है? क्यों नहीं किया- क्योंकि आज आप वापस राजनैतिक द्वेष से अपनी खुद की सरकार के अंतर्गत जो ईओडब्लू है, उसी चीज़ को जो इंकम टैक्स पर नहीं चली, जिसको उच्चतम न्यायालय ने निरस्त किया...उसको आप ये ईओडब्लू के ज़रिए वापस शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी आ गई है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिससे कि एक्सपोज़ हो कि क्या इनके तौर-तरीके हैं, किस प्रकार से कानून को पूरा जो है समुद्र में डालकर काम किया जा रहा है। और अगर आप अब ये ईओडब्लू यानी इकोनॉमिक ऑफ़ेंस विंग का इस्तेमाल या दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसमें कम से कम एक तो व्यक्ति हो जो राजनैतिक व्यक्ति या फिर विरोध का या विपक्ष का व्यक्ति नहीं हो! इतना बड़ा स्कैम... 2,161 करोड़ रु. का आपने आंकड़ा फेंक दिया, उसमें एक भी अधिकारी नहीं है, एक भी निर्माता नहीं है शराब का।

मैं अपनी बात अंत करना चाहूंगा ये कहकर कि हम इस प्रकार के निर्णयों का स्वागत इसलिए नहीं करते हैं कि ये हैं इसमें इनवॉल्वड या मैं हूं या टुटेजा है, वो मुद्दा नहीं है। ये इसलिए हम करते हैं स्वागत कि ये एक सैद्धांतिक, संस्थापित... एक मूल मुद्दा है, जिससे आपको यद्यपि अमुक केस में... क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि अमुक केस में ही निर्णय होता है, एक सार्वभौमिक या व्यापक निर्णय नहीं हो सकता पूरे प्रदेश के लिए, लेकिन इस प्रकार के निर्णय एक्सपोज़ करते हैं कि आपका उद्देश्य क्या था, आपका तौर-तरीका क्या था, आपके डिवियसनेस (deviousness) के उदाहरण क्या थे और इसलिए ये आवश्यक है कि आपके समक्ष रखा जाए और आपके ज़रिए

पूरे देश को मालूम हो कि ये एक और पांचवां या छठा पहलू है इस ईडी या प्रवर्तन विभाग का दुरुपयोग करना राजनीतिक कारणों से।

Dr. Abhishek Manu Singhvi said- We have discussed with you from this podium several facets of the misuse of the coalition partners of the BJP, ruling party. The coalition partners include the ED, the IT, the CBI, etc. You have heard about cases where in the 20 or the 15 per cent cases which are political, 99 per cent are about the Opposition. What they have fooled you on is saying अरे 80 per cent cases are not political… we are not talking about a case against a businessman, we are not talking about a case against an individual officer, we are talking about the 20 per cent which have political flavour… 99 per cent of the 20 per cent involve political opponents… why?

The second facet you have seen that people who have long-pending cases, advanced stages of cases…. they suddenly go through that well-known… not a washing machine, it is a cliched phrase… now it's a laundry factory. They go through a laundry factory and that case suddenly stops; the case suddenly does not go on… it gets closed.

The third facet you have seen is that a person gives eight statements where he does not name any of you, then he is arrested… then suddenly in ninth statement, he takes a few sentences about you… under arrest... and after a few weeks, he gets bail. The law officer says - we don't oppose bail, he has back pain. And then after that, he gets an approvership and a pardonship. These are facets you know about.

Today, I am discussing a related facet regarding Chhattisgarh, just to underline and emphasis on a new peg which happened yesterday in the Supreme Court - how unfair, how motivated, how partisan, how one-sided this whole approach of the BJP ruling government is during election time to mislead the people and to misuse agencies. It has never happened in 75 years of Indian history. The Chhattisgarh story starts with so-called liquor scam. When is the so-called liquor scam activated? The ED jumps in just before the November, 2023 elections in Chhattisgarh. Question arises - why? The allegation relates to an alleged scam of 2019. This 2019 scam gets so hot and activated a few weeks and a few months before the elections. Obviously, the motivation is ulterior. It is political. In this, the Supreme Court said something astonishing yesterday. It said - there is no predicate offence, what

are you doing on money laundering? As you know, money laundering is a consequential offence. So, if there is no body, how does a tail wag without a body? But did not the ED know this much? It's a department which handles this Act, can't they read English?

The entire case which was decided yesterday involved Income Tax allegations or notices. Even a first-year student of law can pick up the Act and read, Income Tax is not a Scheduled offence. Income Tax Act is not in the list of PMLA schedule, then why did you start this? And you started it based entirely on hundreds of raids, searches, etc and hours-and-hours of statements recorded of the very same people who are petitioners… they spent days and nights… father and son in custody. Statement recorded for what? You know there is nothing except in Income Tax search or something which you have got material from. You are trying to stretch it to make it into an ED offence. You are trying to create an impression in the public by throwing figures like 2,161 crores का घोटाला है। The question arises is – Sir, if it is a 2,161 crore घोटाला, why is the Supreme Court quashing and why were you unable to show to the Supreme Court yesterday a money trail of Rs. 2,161 crores? Leave aside Rs 2,161 crores… अरे मनी ट्रेल तो दिखाइए। And the other question is that you have done this out of a distorted view of politics, a distorted view of cheap politics, a distorted view of a level-playing field... a view in which your objective is to Shoot-and-scoot, paint them black, and we will see the consequences later on. So, the kind of figures thrown are nothing, but imaginary.

May I end with a few, very short and quick questions. First question is that if this was such a big ghotala, a scam, why were you not able to give any money laundering evidence to the Supreme Court, question number one. You have to cross the threshold of one crore for the Act to apply. Second if your allegation as it is well-known is that hundreds of factories and liquor producers were involved in the scam in collusion with the government, then have you arrested a single liquor factory manufacturer, owner, promoter? Third question: the most regulated department in the government is called the liquor, Excise, Abkari department in any state. As I said you cannot sneeze without it entering in a register. Every truck which moves from one building to the other has to be entered. Everything has to be sealed in hologram and etc. Forget the details, have you arrested a single government

official? Is it possible that the so-called scam occurred without a single government official being involved or in knowledge?

Question number four: was your hot period only for those four months till the elections were there? You are now in government already for four months. Did you arrest any factory owner, manufacturer, government official even after coming into government? Before and after, objective is only to target you, because you are a political opponent. You are in the Opposition. Therefore, friends, it is time that the whole country… and I must add one more thing- now, that you are in power for four months, you started a new technique; you are using or rather misusing the EOW (Economic Offences Wing) under your state administration to revive or at least trying to revive the same allegations, largely the same, which were the subject matter of the Income Tax inquiry which has failed yesterday in the Supreme Court.

So, this is absolutely malafide. It is absolutely against all norms of the level-playing field. Level-playing field, is part of free and fair elections. Free and fair elections is part on the heart of democracy. Level-playing field free and fair elections and democracy have been held repeatedly as part of the basic structure. Basic structure is a very remarkable document; as we says even a Constitutional amendment, which violates basic structure, would itself be Unconstitutional.

So, you are actually hitting at the root of Indian democracy. Why? For your cheap, temporary political gains. You have no stake in the system in terms of maintaining institutions, conventions, rules, practices, precedence. You are only living for the moment and that moment is a short-lived cheap political moment.

Thank you!

On a question that the ED has registered a case based on the Chhattisgarh police FIR that was registered on January 17th, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- Exactly what I said- this is nothing, but neither new wine nor new bottle. Having tasted defeat in not finding anything in the Income Tax… for after all that was a Central agency for four- six months, now that you are in power, you want to keep the pot boiling. You are really now trying to revive, cook the same old thing in the same old bottle. Create a Khichdi and keep it simmering to give an impression. Till now, I have heard of no arrest

as far as government officials or manufacturers are concerned. But the real issue is- have you demonstrated that if the EOW (Economic Offences Wing) you have activated now, why were the very same facts not available to the ED? I don't understand. It can't be that the ED's power is lesser than the EOW's. So, it is clearly a motivated, politically slanted approach.

ईडी के दुरुपयोग को लेकर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देखिए, आप सही कह रहे हैं, इसके ऊपर हमने कई बार बोला है, कोर्ट के अंदर ही नहीं, कोर्ट के बाहर भी... नंबर एक। नंबर दो- इस पर पुनर्विचार करना कि इनके कई प्रावधान... आपने एक नाम लिया 45, पर और कई हैं 19, 45, 50 इत्यादि। इन पर पुनर्विचार करने की याचिका पेंडिंग हैं, लंबित है उच्चतम न्यायालय में। दो दिन के लिए सुनी भी गई थी, मैं खुद पेश हुआ था। अब निर्णय नहीं हुआ उसका, सुनवाई नहीं हुई अंतिम, तो मैं कह सकता हूं- हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो, इस पर पुनर्विचार हो और निर्णय आए।

नंबर तीन- ये जो आप सशक्तिकरण कह रहे हैं, वेपनाइजेशन ऑफ ईडी, ये भारत की अस्मिता, भारत के गणतंत्र के लिए बहुत बुरा है। ये आज की बात नहीं है, ये दूरगामी भविष्य की बात है। आज आप इस प्रकार से दुरुपयोग करेंगे, तो आपके और आपके जितने भी निकट के देश हैं, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका से लेकर नेपाल, उस प्रकार का गणतंत्र चाहते हैं क्या आप, कि ये बाहर निकले, मैं आया, मैं बाहर निकला, ये आए। तो ये रिवॉल्विंग डोर वाला प्रतिशोध गणतंत्र के लिए बहुत बुरा है, ये समझ के बाहर है बीजेपी के। जो हर चीज में राजनीति देखती है।

एक अन्य प्रश्न पर कि बीजेपी ने 25 देशों के राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है लोकसभा चुनाव देखने के लिए? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं इस पर क्या कहूं, ये एक स्वतंत्र देश है, कोई पार्टी किसी को बुला सकती है और कम से कम ये सत्तारूढ़ पार्टी है, इनके पास साधन है। इनके पास सभी हैं और निमंत्रण करना भी और निमंत्रण के जितने भी साधन होते हैं, रखरखाव, देखभाल का, वो भी साधन इनके पास हैं, तो बुलाएं जरूर। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी को एक विजिट भी घुमा-फिरा कर देश की सच्चाई बदलना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सोच बड़ी ओछी लगती है। लोग ठोस तथ्य देख रहे हैं। आज अगर आपके विरुद्ध कोई निंदा आती

है और आप निंदा को समझते हैं कि वो एक भर्त्सना है, मैं भारत का अपमान कर रहा हूं, मैं राष्ट्र विरोधी हूं, तो आप नहीं समझ रहे हैं कि ये टिप्पणियां भारत में सुधार के लिए की जा रही हैं, जो भारत से प्रेम करते हैं, जो भारत से अगाढ़ प्रेम रखते हैं उनके लिए। आप हर चीज को अपनी ईगो, अहंकार से ना देखें, बाकी बुलाना, ना बुलाना, वो आपका अधिकार क्षेत्र हैं, आप जो मर्जी करें।

एक अन्य प्रश्न पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि हेमंत सोरेन को फंसाया गया है, इसका अब कोर्ट इंसाफ करेगा, जैसा छत्तीसगढ़ में इंसाफ हुआ, वैसे हमें मिलेगा? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देखिए, इंडिविजुअल चीज में मैं टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। ये तो दिन-प्रतिदिन देश, हर प्रदेश की ही कहानी है। अस्थिरता के कम से कम दो या तीन तरीके तो इन्होंने विश्वविद्यालय की पीएचडी जितने माहिर कर दिए हैं। जैसे पीएचडी इशू कर सकते हैं आप इन दो तरीकों में बीजेपी के विश्वविद्यालय से। पीएचडी नंबर वन कि इस चुनी हुई सरकार को कैसे गिराया जाए। ऐसे आपको दस उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको कर्नाटका से लेकर मणिपुर, महाराष्ट्र से लेकर कहीं और। दूसरा विश्वविद्यालय का जो एमफिल या पीएचडी की डिग्री है, वो ये है कि अगर आप अस्थिर करके चुने हुए व्यक्ति या सरकार को नहीं हटा सकते, तो भय से हटाइए। ईडी और सीबीआई की साझेदारी से हटाइए। उसका आप दूसरा मॉडल देख रहे हैं। आप एक बार सफल हो गए, उसके बाद चलता रहेगा, कानून की प्रक्रिया चलती रहती है। हम सब जानते हैं कि विलंब होता है उसमें, हम सब जानते हैं process is the punishment. तो क्या जाता है, एक बार तो कर दिया आपने अपना खेल।

चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने पर राजनाथ सिंह जी की टिप्पणी को लेकर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये बीजेपी की पोजीशन किसने कह दी? ये तो बिल्कुल सही है कि हमारे देश के आप 15 नाम बदल देंगे, तो उससे क्या देश बदल जाएगा? ये तो कोई भी देश किसी देश में हस्तक्षेप नहीं करता। ये राजनाथ सिंह जी से कोई मतलब नहीं रखता, बीजेपी से मतलब नहीं रखता, कांग्रेस से मतलब नहीं रखता। अगर कोई भी देश और निश्चित रूप से चीन हमारे देश के नामकरण संस्कारों में पड़ जाएगा, तो क्या उससे वो हिस्सा

देश का चीन का हो जाएगा? इसमें तो कोई कॉमन सेंस और औचित्य नहीं लगता, इसमें तो कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए और आप क्या समझते हैं कि राजनाथ सिंह जी के पहले 2014 के पहले हमने निमंत्रण दिया किसी देश को कि हमारे यहाँ के नाम बदलो, बीजेपी के पहले जो बीजेपी की सरकारें हुईं, कांग्रेस की सरकारें हुईं, मिली जुली सरकार हुई, किसी ने अलाउ किया? ये तो एक नेरेटिव बनाया जाता है कि हमने राष्ट्रवाद दिखाया। क्या करके, एक वक्तव्य देकर। जो ठोस प्रश्न है, वो ये नामकरण पर वक्तव्य देना नहीं है चुनाव के दौरान। जो ठोस प्रश्न होना चाहिए, माननीय राजनाथ सिंह जी को पहले उसका उत्तर देना चाहिए कि चीन को आपने अभी तक वापस क्यों नहीं खदेड़ा और अगर नहीं खदेड़ा, तो पहली बात चीन वहाँ पर पहुंचा कैसे, जहाँ अभी पहुंचा हुआ है? ये नामकरण वगैरह तो वक्तव्यबाजी है।

On another question about the misuse and weaponization of the probe agencies targeting the Opposition, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- So, you are accusing a teetotaller of handling two liquor scams. Let me tell you- You are wrong. Every day we are fighting these cases, every day in the court, every case. I am not taking names, but call it the Delhi Case or the Chhattisgarh case... these are matters going on in court actively. However, your understanding has to be changed because courts cannot take up mega matters. Court can take up the matter of an individual. It can take up a matter of UNI, PTI etc. It cannot be that you take up a matter generic of this whole room. There is no such concept in law. So, you cannot… Yes! I had personally moved the court some years ago and that it was not dismissed, it was allowed to be withdrawn… that we will see on a later day. I think there is merit in that larger principle, but that is not current.

Because currently it depends on 'A' vs 'B', you must have somebody who has a cause of… I don't want to sound as technical as lawyer. You must have somebody who is hurt by a cause of action that was in the Ego. By the way, the question you are asking… in my original petition, issues raised were very interesting. One- that do you create a non-level-playing field and by that do you affect free and fair election; and by that do you affect democracy… these should be decided on the basis structure doctrine for which PIL can be entertained, but the court at that time did not entertain it saying that we are… and allowed it to be withdrawn at this stage because of this reason then it said you come with a specific case which deals with it.

On another question regarding the case against the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal High Court has mentioned it clearly that even the political parties can be brought under the ambit of Section 70 of PMLA, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- See! I am personally the advocate to argument these cases. So, I don't like to make some argument myself. Number two- the Supreme Court was created precisely, because the High Court is not the last court. So, you haven't heard the last word about it. Number three- my personal view is… this is my personal view, don't think I am arguing against the High Court because ultimately the High Court is the boss.

As far as that case is concerned Supreme Court will not decide, nor am I commenting on a subjudice matter… I am only repeating the ground raise before the High Court and you can judge for yourself. The ground, if you are asking only about Section 70, was simply this- Section 70 does not mention political parties anywhere. Political parties are separately dealt under Representation of People Act. Now, in criminal law you cannot have vicarious liability. Vicarious liability means that if a company has done some crime, the managing director of that company cannot be guilty just because the company is guilty unless it is shown separately that the managing director was involved.

So, the second argument is that first Section 70 doesn't mention, doesn't apply… Section 70 will not apply because a separate Act governs political parties and this act is chosen not to apply that Act here, and thirdly- assuming it applies, you have to still show separately how the CM has done something individually. You can't simply say आप ने किया, AAP ने, तो इसलिए ऑटमैटिक्ली- उनका जो सीएम है, वो भी दोषी है। तो ये तीन पहलू हैं, ये निर्णित होंगे। अभी तो उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, अभी उच्चतम न्यायालय गया है। आज भी हमने मेंशन किया है, लगेगा मामला, आप जानते हैं अभी कोर्ट बंद है, कचहरी बंद है।

Sd/-
Secretary
Communication Deptt.
AICC